

आर्यवस्ता वकील प्रतिवादी द्वारा अग्रगत करवा
 दि प्रार्थना अन्तगत न्यास. 151 C.P.C जिसमें
 ये कथन है लिए निषेध है पुस्त प्रार्थनापत्र में
 प्रतिवादी की। के देहान्त होने के बाद उसका नाथ
 तर्क करने के संबंध में है। न्यायालय द्वारा
 द्वारा पूर्व में उक्त प्रार्थनापत्र को दिनांक
 23/02/2016 को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी
 की। न्यायालय न्यास को नामांतरक किया।
 न्याया। उसके बाद वादी आर्यवस्ता द्वारा उक्त
 समान प्रार्थना प्रार्थनापत्र पेश किया
 जिल पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही
 उपेक्षित नहीं है अतः पत्रावली वाले साक्ष्य (पत्रावली)
 हेतु दिनांक 29/3/2023 को पेश हो।

21³/₂₃

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उभय
 वकील प्रतिवादी साक्ष्य प्रतिवादी में
 आवाकत पेश करने हेतु आवसर चाहते हैं।
 आवसर दिया जाता है। पत्रावली
 वाले साक्ष्य प्रतिवादी हेतु दिनांक
 2/5/2023 को पेश हो।

25⁵/₂₃

पत्रावली आज पेश हुई। वकील उभय पक्ष
 उपस्थित/अनुपस्थित। एस.डी.ओ.सा. दौरे
 /अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली हुकम
 साविका दिनांक 12⁷/₂₃ को पेश है

आज्ञा से

127⁷/₂₃

पत्रावली आज पेश हुई। वकील उभय पक्ष
 उपस्थित/अनुपस्थित। एस.डी.ओ.सा. दौरे
 /अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली हुकम
 साविका दिनांक 13⁹/₂₃ को पेश है

139⁹/₂₃

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी या अनुपस्थित
 वकील वादी या एव वादी या को तमि कर आवसर
 (न्याया 21/5)। अन्तिम आवसर 5:30 PM पर (न्याया
 21/5)। कोई उपास्य नहीं है। अतः पुनरुक्त अधु
 डागरी अनुपस्थित में द्वाारित किया जाता है।
 पत्रावली हुकम साविका दिनांक 20/5/2023 को पेश हो।

